

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चंडीगढ़ का कार्यालय

सं: प्रशासन-1/पदक्रम सूची/2021-22/357

दिनांक: 14.02.2022

कार्यालय आदेश

दिनांक 01.03.2022 की पदक्रम सूची के संकलन हेतु पदक्रम सूची (दिनांक 01.03.2021) के संशोधन का कार्य प्रशासन-1 अनुभाग, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.), पंजाब एवं यू टी चंडीगढ़ में गतिमान है। पदक्रम सूची में अधिकारियों / कर्मचारियों की वरीयता तथा उसमें दिए गये सेवा विवरण जैसे उनकी पदोन्नति, स्थायीकरण, वेतन निर्धारण आदि के आधार होते हैं। अतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.), पंजाब एवं यू टी चंडीगढ़ के समस्त अधिकारी / कर्मचारी, जो इस कार्यालय के संवर्ग नियंत्रण के अधीन आते हैं, से अपेक्षा है कि वे अपने सेवा सम्बंधी लाभ को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01.03.2021 की पदक्रम सूची में अपनी वरीयता एवं सेवा विवरण सम्बंधी प्रविष्टियों की त्रुटिया, यदि कोई हो, के सुधार के लिए प्रशासन-1 अनुभाग को दिनांक 28.02.2022 तक सूचित करने का कष्ट करे, जिससे नई पदक्रम सूची में प्रविष्टियाँ सम्मिलित की जा सकें तथा साथ ही साथ पदक्रम सूची निर्धारित समय अवधि में जारी की सकें।

2. इस संबंध में सूचना देते समय निम्न विवरण देना अनिवार्य है:-

- (क) नाम व व्यक्तिगत संख्या
- (ख) पदनाम
- (ग) क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य है ?
- (घ) क्या वह स्थायी / अस्थायी है (संवर्ग एवं तिथि)
- (ङ) पदक्रम सूची क्रमांक / पृष्ठ संख्या (दिनांक 01.03.2021 की पदक्रम सूची के अनुसार)
- (च) जन्म तिथि
- (छ) नियुक्ति की तिथि
- (ज) वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि
- (झ) वर्तमान पद तेनाती
- (ट) अन्य विवरण

3. जिन कर्मचारियों का नाम दिनांक 01.03.2021 के पदक्रम सूची में सम्मिलित नहीं है, वे भी इसकी सूचना प्रशासन-1 अनुभाग को उपर्युक्त समस्त अपेक्षित विवरण के साथ दे।

4. समस्त सहायक लेखा अधिकारी / पर्यवेक्षक इस आदेश से अपने अनुभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

5. यदि पदक्रम सूची में कोई त्रुटि है तथा वह संबंधित कार्यालय / अनुभाग या संबंधित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्रशासन अनुभाग के संज्ञान में नहीं लायी जाती है, तो वह इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

हस्ता/-

उप-महालेखाकार (प्रशासन)